रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032021-225985 CG-DL-E-18032021-225985

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1165] No. 1165] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 2021/फाल्गुन 27, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 2021/PHALGUNA 27, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2021

का.आ.1257(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसमें इसके बाद अधिनियम कहा गया है) की धारा 396 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कंपनियों द्वारा फाइल किए गए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिज (एसटीपी) ई-फॉर्मों की जांच करने के लिए एक केंद्रीय जांच केंद्र (के.जां.के.) की स्थापना करती है।

- 2. के.जां.के. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के ई-गवर्नेंस सेल के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।
- 3. के.जां.के. उपर्युक्त फार्मों की जांच करेगा और उसके निष्कर्षों को, जहां कहीं अपेक्षित हो, अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित क्षेत्र के कंपनी रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा।
- 4. के.जां.के. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6,7,8, सैक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुडगांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050 में अवस्थित होगा।
 - 5. यह अधिसूचना दिनांक 23.03.2021 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. ए-42/10/2021-प्रशा.-II]

अंजली भावड़ा. विशेष सचिव

1693 GI/2021 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2021

- **S.O. 1257(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby establishes a Central Scrutiny Centre (CSC) for carrying out scrutiny of Straight Through Processes (STP) e-forms filed by the companies under the Act and the rules made thereunder.
- 2. The CSC shall function under the administrative control of the e-governance Cell of the Ministry of Corporate Affairs.
- 3. The CSC shall carry out scrutiny of the aforesaid forms and forward findings thereon, wherever required, to the concerned jurisdictional Registrar of Companies for further necessary action under the provisions of the Act and the rules made thereunder.
- 4. The CSC shall be located at the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code- 122050.
 - 5. This notification shall come into force from the 23rd March, 2021.

[F.No.A-42/10/2021-Ad.II]

ANJALI BHAWARA, Special Secy.